E-ISSN: 3048-6041 | Volume- 2, Issue- 7 | July 2025

सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बढ़ती 'डिजिटल अरेस्ट' की सामाजिक समस्या का अध्ययन

विकास द्विवेदी [1], डॉ. दिवाकर अवस्थी [2]

[1] शोधार्थी, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर

[2] सहायक आचार्य, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर

सारांश

देश में बीते कुछ दिनों से लोगों की जागरूकता के अभाव में 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे साइबर अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। इसमें अपराधी, आम लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर मौजूद निजी जानकारी प्राप्त कर ऑनलाइन कॉल के माध्यम से खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी, सीबीआई अधिकारी, आयकर अधिकारी और जज के रूप में तक भी पेश करते है। कॉल की वैधता दर्शाने के लिए वे कोर्टरूम या पुलिस स्टेशन जैसा सेट-अप बनाकर वित्तीय कदाचार, कर चोरी या अन्य कानूनी उल्लंघनों जैसे विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए डिजिटल गिरफ्तारी वारंट जारी होने की धमकी देते है। वे पीड़ितों को जाँच से अपना नाम हटवाने के नाम पर अपने बैंक खातों से बड़ी रकम अपराधियों के खातों में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करते है। जब पीड़ित सहमत होकर भुगतान कर देता है, तो घोटालेबाज गायब हो जाते हैं, जिससे पीड़ित को वित्तीय नुकसान और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। मानसिक टार्चर और अपनी बदनामी के डर से पीड़ित खुद को हफ्तों के लिए घर में कैद कर लेता है साथ ही किसी से कोई भी जानकारी साझा नही कर पाता है। अब तक पुलिस भी ऐसे ज्यादातर मामलों में अपराधियों को ट्रेस कर पाने में नाकाम रही है। समस्या कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में देश के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी को भी इस बारे में रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' से लोगों को जागरूक होने की अपील करनी पड़ी है। उधर मोबाइल पर कॉलर ट्यून के माध्यम से भी जागरूकता सन्देश भी चलाया जा रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सार्वजनिक की गयी निजी जानकारी से बढ़ते डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराध की समस्या अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द: डिजिटल अरेस्ट, साइबर अपराध, सोशल मीडिया, ऑनलाइन कॉल, डिजिटल घोटाला, साइबर क्राइम

प्रस्तावना

सोशल मीडिया आधारित आभाषी विश्व में निजी डाटा के सार्वजनिक होते खतरे से दिन ब दिन साइबर क्राइम समाज में अपने पैर पसार रहा है। निजी जानकारी मिलते ही साइबर ठग अलग अलग तरीकों से समाज को ठग रहे हैं। ऐसे में नये साइबर अपराध के रूप में 'डिजिटल अरेस्ट' नाम से नया साइबर क्राइम अपनी जड़े जमा रहा है। डिजिटल अरेस्ट उस घटना को संदर्भित करती है, जहाँ व्यक्ति डिजिटल तकनीकों पर अत्यधिक निर्भर या आदी हो जाते हैं, जिससे विभिन्न सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएँ पैदा होती हैं। कंप्यूटर क्रांति आने के बाद 'इंटरनेट' के द्वारा ऑनलाइन क्रियाकलाप के साथ शुरू हुए साइबर अपराधों ने भी कुछ ऐसे ही रिकार्ड बनाये हैं। आजतक.इन पर 23 दिसम्बर 2024 को प्रकाशित खबर के अनुसार अक्टूबर 2024 तक देश मे डिजिटल अरेस्ट के कुल 92,334 केस दर्ज हुये थे। लाइवहिंदुस्तान.कॉम पर 23 जुलाई 2025 को प्रकाशित खबर में दर्ज भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के आंकड़ों के अनुसार देश को साल 2024 में साइबर अपराधों में कुल 12 हजार करोड़ का नुकसान हुआ जिसमें अकेले 'डिजिटल अरेस्ट' से 2140 करोड़ का नुकसान हुआ। इसमें सोशल मीडिया पर प्राप्त डाटा के आधार पर बड़े-

बड़े प्रोफेसर, अलग अलग विभागों के ऑफिसर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, पर नजर रखकर उन्हें सोशल मीडिया टूल की मदद से कॉल किया जाता है।

साहित्य समीक्षा

डिजिटल युग में मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका को समझने के लिए रामलखन मीना की 2014 की पुस्तक *'मीडिया विमर्श'* एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में सामने आती है, जिसमें मीडिया शब्द की उत्पत्ति और सूचना क्रांति से जुड़े बहुआयामी विस्तार की चर्चा करते हुए बताया गया है कि समय के साथ लोग मीडिया पर इस कदर निर्भर हो जाते हैं कि उनकी निजता का उल्लंघन होने लगता है।

इसी क्रम में, डॉ. सेवा सिंह बाजवा द्वारा 2017 में लिखी गई पुस्तक *'सोशल मीडिया के विविध आयाम'* यह दर्शाती है कि आज का युग सोशल साइट्स का युग बन चुका है, जहाँ ये प्लेटफ़ॉर्म न केवल समाज में अपना विशेष स्थान बना चुके हैं, बल्कि लोगों की व्यक्तिगत जानकारी भी आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

अनिल कुमार बेनीवाल की 2012 की पुस्तक *'वर्तमान परिदृश्य में सोशल मीडिया नीति'* इस बात को रेखांकित करती है कि सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार की तरह है, जहाँ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की सूचनाएं अत्यंत तेजी से फैलती हैं, और इसके साथ ही साइबर अपराध का खतरा भी बढ़ता जा रहा है।

साइबर अपराध के एक नए रूप 'डिजिटल अरेस्ट' को आधार बनाकर आधार चंद्रन ने अपनी 2025 की पुस्तक *'डिजिटल अरेस्ट'* में अनेक उदाहरणों के माध्यम से यह बताया है कि कैसे साइबर अपराधी सीबीआई अफसर, आयकर अधिकारी या न्यायिक अधिकारी बनकर पीड़ितों को डराते हैं और उनसे लाखों रुपये ठग लेते हैं; साथ ही पुस्तक में पुलिस की भूमिका और साइबर क्राइम से बचने के उपाय भी सुझाए गए हैं।

डिजिटल अरेस्ट की वैधता पर सवाल उठाते हुए एंजिल उपाध्याय, डॉ. अनीता वर्मा और कुमार अमलेंद ने अपनी 2025 की पुस्तक *'वैचारिकी'* में यह स्पष्ट किया है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, और इसका प्रयोग केवल धोखाधड़ी के उद्देश्य से किया जाता है।

इसी विषय को विस्तार देते हुए राजेश दंडोतिया की 2025 की पुस्तक *'साइबर रक्षक'* यह स्पष्ट करती है कि साइबर ठग किस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से पीड़ितों को फंसाकर उनकी निजी जानकारी चुरा लेते हैं और फिर धमकाकर उनसे धन ठगते हैं; पुस्तक में ऐसी परिस्थितियों से निपटने के सुझाव भी दिए गए हैं।

व्यापक साइबर खतरों पर केंद्रित पुस्तक *'साइबर साथी: योर ट्रस्टेड गाइड टू प्रेवेंटिंग साइबर थ्रेट्स एंड स्कैम्स' (2025)* डिजिटल अरेस्ट सहित हैकिंग, फिशिंग, साइबर बुलिंग और पहचान चोरी जैसी घटनाओं को रेखांकित करते हुए डिजिटल सुरक्षा और जागरूकता की आवश्यकता पर जोर देती है।

जाहिद अमीर द्वारा 2024 में लिखी गई पुस्तक *'डिजिटल अरेस्ट स्कैम: अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफाइंग एंड अवॉइडिंग डिजिटल फ्रॉड'* में बताया गया है कि किस प्रकार साइबर अपराधी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर पीड़ितों को भ्रमित करते हैं और मानसिक उत्पीड़न के माध्यम से उन्हें अपना शिकार बनाते हैं।

डिजिटल अरेस्ट के साइबर अपराधों के विकास और प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए भावना विजय ने अपने 2027 के शोधपत्र *'The Evolution of Digital Arrest Cyber-Crimes in India'* में यह बताया है कि तकनीकी प्रगति ने जहां अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं एक छोटी-सी चूक पर अपराधी आम लोगों की गाढ़ी कमाई लूट सकते हैं और जेल में बंद करने की धमकी देकर डर का वातावरण बना देते हैं।

इसी प्रकार, ज्योति चौहान ने अपने 2024 के शोधपत्र *'डिजिटल अरेस्ट: एन एमरजिंग साइबर क्राइम इन इंडिया'* में आधुनिक तकनीकों जैसे फिशिंग, पोर्नोग्राफी ब्लैकमेलिंग, और फ्रॉड के तरीकों को स्पष्ट किया है, साथ ही बताया है कि यह अपराध इतना बढ़ चुका है कि देश के प्रधानमंत्री ने भी 'मन की बात' कार्यक्रम में इसकी चर्चा करनी पड़ी।

शोध परिकल्पना

1. सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हो रहे निजी डाटा से मामले बढ़ रहे हैं।
2. डिजिटल अरेस्ट से देश को आर्थिक नुकसान हो रहा है।

शोध उद्देश्य

1. डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं के कारणों का अध्ययन
2. डिजिटल अरेस्ट पीड़ितों की मानसिक स्थिति का अध्ययन

आंकड़ा स्रोत

शोध के अध्ययन हेतु शोधकर्ता ने द्वितियक डाटा के रूप में विभिन्न अख़बारों की वेबसाइट पर छपी हुई खबरों से लेकर विभिन्न किताबों और रिसर्च पेपर का अध्ययन किया।

शोध उपकरण

अखबारों और वेबसाइटों से पर प्रकाशित हुई घटनाओं पर की गयी केस स्टडी के आधार पर डाटा का गुणात्मक विश्लेषण किया गया और उसके आधार पर शोध रिपोर्ट तैयार की गयी। केस स्टडी के आधार पर कुछ मामलों का गुणात्मक विश्लेषण किया गया जिसके कुछ आंकड़े नीचे दिए गये हैं, जिन्हें हमने विभिन्न प्रतिष्ठित अख़बारों की वेबसाइट से प्राप्त किया है।

आंकड़ों का सिंहावलोकन

आज का दौर ऐसा हो गया है जब व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मीडिया पर निर्भर रहते हैं, जिससे मीडिया के प्रभावों के प्रति उनकी संवेदनशीलता बढ़ सकती है। साइबर अपराधी इसका सीधा फायदा उठाते हैं। यदि इसके माध्यम से होने वाले नुकसान की बात करें तो देश में इसके शिकार पीड़ितों को अब तक कुल मिलाकर करीब 2140 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। I4C के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक आये दिन डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आते रहते हैं। कोई न कोई इस समस्या का शिकार होता रहता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 28 अक्टूबर 2024 को ऑनलाइन समाचार वेबसाईट लाइव हिंदुस्तान पर प्रकाशित खबर के मुताबिक साइबर अपराध डेटा से पता चलता है कि इस साल की पहली तिमाही में कई भारतीयों को डिजिटल गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। इस धोखाधड़ी में 120.30 करोड़ रुपये गंवाने पड़े हैं। हवाले से रिपोर्ट में कहा गया, 'पीड़ितों को ट्रेडिंग घोटालों में 1,420.48 करोड़, निवेश घोटालों में 222.58 करोड़ और रोमांस/डेटिंग घोटालों में 13.23 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। देश के प्रसिद्ध टीवी चैनल 'आज तक' की ऑनलाइन समाचार वेबसाईट aajtak.in पर 1 नवंबर 2024 को प्रकाशित खबर के मुताबिक MHA साइबर विंग (i4C) के सूत्रों के मुताबिक इस तरीके का इस्तेमाल करके स्कैमर्स हर दिन 6 करोड़ रुपये की ठगी कर रहे हैं. स्कैम के इस तरीके के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं. स्कैमर्स ने वर्ष 2024 में मात्र 10 महीनों में 2140 करोड़ रुपये की ठगी डिजिटल अरेस्ट के तरीके का इस्तेमाल करके की है. हर महीने साइबर अपराधी इस तरीके का इस्तेमाल करके लोगों से औसतन 214 करोड़ रुपये का फ्रॉड कर रहे हैं। विभिन्न न्यूज़ वेबसाईट से प्राप्त ठगी का ये आंकड़ा दिखाता है कि लोग अपनी सुरक्षा को लेकर कितने असंवेदनशील हैं। वे आसानी से डर के शिकार हो जाते हैं और कोई भी उनकी

जमा पूंजी खाली कर देता है। समाचार वेबसाईट aajtak.in ने 29 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित अपनी एक खबर में दावा किया है कि आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन (SIT) टीम लगातार इस मामले पर पड़ताल कर रही है. जांच के दौरान इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड (IDPR) में यह सामने आया है कि इस रैकेट के तार विदेश तक जुड़े हुए हैं. इस नेटवर्क को म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस से चलाया जा रहा है. कंबोडिया और दुबई से ठगी का पैसा निकाला जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अब एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है।

केस स्टडी

1. TV9 भारतवर्ष की ऑनलाइन समाचार वेबसाइट पर 25 जुलाई 2025 को प्रकाशित खबर के मुताबिक थाईलैंड से बेंगलुरु अपने दोस्त से मिलने आई एक महिला शिक्षिका डिजिटल अरेस्ट का शिकार तब हो गई, जब वह दोस्त के घर पर ही रुकी थी तभी अचानक उसे एक ऑनलाइन कॉल आता है और कॉल में उसे बताया जाता है कि वह मनी लांड्रिंग, तस्करी और हत्या के मामले में वांछित है, और उसके खिलाफ कोर्ट का वारंट भी जारी हो चुका है, पुष्टि के लिए कोर्ट ऑर्डर की एक फेक कॉपी भी दिखाई जाती है इसके बाद महिला डर जाती है, तब तक ठग उसे छोड़ने के बदले पैसे की डिमांड करते हैं, इसके बाद महिला अपने खाते से 58000 से ज्यादा की राशि उनके खाते में ट्रांसफर कर देती है, साइबर अपराधी इस दौरान उन्हें शारीरिक जाँच के बहाने ऑनलाइन कॉल पर ही निर्वस्त्र भी कराते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, और घटना के पीछे लगे हुए लोगों को पकड़ने के लिए प्रयासरत है।
2. ऑनलाइन समाचार सेवा प्रदाता patrika.com पर 13 जुलाई 2025 को प्रकाशित खबर के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य के बसना थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव निवासी एक महिला को मुंबई क्राइम ब्रांच के नाम से एक फर्जी इंस्पेक्टर का कॉल आता है, जिसमें वह उक्त महिला के आधार कार्ड पर लिए गए एक सिम का आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना बताकर उसका सिम 2 घंटे में बंद करने की बात कहता है। इस दौरान महिला को डरा कर वह बैंक अकाउंट की भी जानकारी ले लेता है, और खाते से ₹500000 उड़ा देता है। फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।
3. ऑनलाइन सेवा प्रदाता अमर उजाला. कॉम पर 24 जुलाई 2025 को प्रकाशित खबर के मुताबिक लखनऊ के सरोजिनी नगर स्थित एलडीए कॉलोनी के रिटायर्ड डाककर्मी के पास एटीएस के नाम से फोन आता है और उसे यह बताया जाता है कि डाककर्मी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है, जिसके उनके पास पुख्ता सबूत है। इस तरह से डाककर्मी को गिरफ्तारी करने सहित अलग-अलग तरीके से टॉर्चर करके डरा कर डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके खाते से कई बार में 5 लाख की रकम ट्रांसफर करा ली जाती है। घटना के दौरान साइबर ठाकुर द्वारा ऐसा माहौल बनाया जाता है कि डाककर्मी अगले 2 घंटे तक बेसुध रहता है और होश आने पर जब वह यह बात अपने परिजनों को बताता है तब पता चलता है कि उसके साथ ठगी हो गई है। फिलहाल सरोजिनी नगर थाने की पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है।
4. ऑनलाइन समाचार सेवा प्रदाता लाइव हिंदुस्तान की वेबसाइट पर 23 जुलाई को छपी खबर के मुताबिक मामला अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत धोलाभाटा इलाके का है जहां साइबर ठगो ने एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट कर करीब 40 लख रुपए की ठगी कर ली। इसमें साइबर ठगो ने पीड़ितों के पास खुद को मुंबई स्थित कोलाबा थाने का अधिकारी बताते हुए व्हाट्सएप कॉल किया और दंपति को मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स के केस में लिफ्ट बताकर गिरफ्तार करने की धमकी दी। इस दौरान पीड़ितों के पास अलग-अलग व्हाट्सएप नंबर से कॉल की गई और उन्हें चार दिन तक घर से बाहर न निकलने को लेकर डराया धमकाया गया, गिरफ्तारी के दर से वह घर से बाहर भी नहीं निकले। हालात ये हों गये कि पीड़ितों

ने अपनी FD तक तुड़वा दी और उनके खातों में पैसे जमा किए। फिलहाल मामला पुलिस के संज्ञान में है और आरोपियों की धड़ पकड़ के लिए कार्यवाही कर रही है।

5. ऑनलाइन समाचार सेवा प्रदाता ईटीवी भारत राजस्थान की 24 जून 2024 को प्रकाशित खबर के जयपुर के एक बैंक में कार्यरत महिला बैंक मैनेजर उसे समय ठगी का शिकार हो गई जब उसके पास आए सीबीआई अधिकारियों के नाम से आए हुए फर्जी ऑनलाइन काल के माध्यम से उसे यह बताया गया कि उसके नाम पर एक फर्जी सिम चल रहा है और उससे आवैध गतिविधियाँ की जा रही हैं। उसे हवाला रैकेट में जुड़े होने का डर दिखाकर उसके 17 लाख रुपये को जांच के नाम पर अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करा लिया गया। बाद में ठगी का पता चलने पर उसने पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवाई तो पुलिस ने तो पुलिस ने जाँच शुरू की।
6. jagran.com पर 25 जुलाई 2025 को छपी खबर के मुताबिक एनटीपीसी की हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाली एक महिला जिसके पति एनटीपीसी में एक बड़े अफसर थे, उन्होंने महिला के खाते में कुछ रुपए जमा कर रखे थे। 8 जुलाई को महिला के पास साइबर अपराधियों द्वारा सीबीआई अधिकारीयों के रूप में फोन आता है जिसमें उसके भ्रष्टाचार में लिप्त होने का हवाला देते हुए गिरफ्तारी का डर दिखाया जाता है, इस दौरान महिला को किसी से कुछ ना बताने की कसम भी खिलाई जाती है. जांच के नाम पर महिला से सारी रकम को फर्जी सीबीआई अधिकारियों के खातों में ट्रांसफर करने के लिए कहा जाता है और यह भरोसा दिया जाता है की जांच पूरी होने के बाद उन्हें एक-एक पैसा वापस कर दिया जाएगा। डरी हुई महिला करीब डेढ करोड रुपए साइबर अपराधियों के खातों में ट्रांसफर कर देती है। इसका खुलासा तब होता है जब बैंक की मैनेजर उक्त महिला की हालात देखकर उसके घर पहुंच जाती है, तब उसे डिजिटल अरेस्ट होने का एहसास होता है। शक होने पर मामला पुलिस के पास जाता है और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।
7. jagran.com पर ही 19 जुलाई 2025 को छपी खबर के मुताबिक लखनऊ के ऐशबाग निवासी 73 वर्षीय महिला को करीब 22 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर 70 लख रुपए की ठगी कर ली। महिला के पास 20 जून को साइबर तक क्राइम ब्रांच के नाम से फोन करते हैं और उसके द्वारा कमाए गए रुपए को भ्रष्टाचार के द्वारा अवैध तरीके से कमाया हुआ बताते हुए सीबीआई की तरफ से मुकदमा दर्ज होने और 10 वर्ष के कारावास होने की धमकी दी जाती है। महिला से कहा जाता है कि अगर वह बचाना चाहती है तो जितना भी आवाज तरीके से कमाया हुआ रुपया है उसे हमारे खातों में ट्रांसफर कर दो, अन्यथा गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाएगा। इस दौरान महिला को किसी से बात न करने की भी हिदायत दी जाती है। दरी सेमी महिला कुल 22 दिनों में अपने खातों से करीब 70 लख रुपए का ट्रांजैक्शन अब उन अवैध खातों में कर देती है। जब महिला के पास पैसा खत्म हो जाता है तब वह उसे सोना गिरवी रखने के लिए कहते हैं, और किसी अन्य से बात कराने को कहते हैं। जब देवर से बात होती है तब इस पूरे मामले का खुलासा होता है और फिर वह पुलिस में FIR देती है। फिलहाल पुलिस के मुताबिक मामले की जांच चल रही है जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी।

उपसंहार

इस प्रकार हाल ही में घटी कुछ घटनाओं में देखा जा सकता है की ज्यादातर साइबर ठगों ने पूर्व से प्राप्त सोशल मीडिया आधारित जानकारी के आधार पर पीड़ितों से ऑनलाइन सोशल मीडिया अप्लिकेशन में ही कॉल कर सम्पर्क स्थापित किया और लोंगों को डिजिटल अरेस्ट के काल्पनिक मकडजाल में फांसकर उन्हें लूट लिया। चूंकि तरक्की भी अपने साथ कुछ दुष्प्रभाव लेकर आती है, और आम जन अक्सर सिक्के का एक ही पहलू देखते हैं, लिहाजा सोशल मीडिया प्लेटफार्म की अप्लीकेशन पर लोग अपनी निजी जानकारी साझा कर देते हैं, जिससे डिजिटल किडनैपर की राह आसान हो जाती

है और वो लोगों को झांसे में लेकर अकाउंट की जानकारी तक पहुँच जाते हैं, फिर शुरू होता है आपको डिजिटल अरेस्ट का खेल, जो कि आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी मिनटों में खाली कर देता है। इसलिए जहाँ तक सम्भव हो सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचें, साथ ही खुद जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें। वैसे अब सोशल मीडिया प्लेटफार्म से लेकर प्रत्येक ऑफ लाइन कॉल पर भी भारत सरकार द्वारा जागरूकता संदेश प्रसारित किया जा रहा है, जो की भविष्य में इस खतरे से निपटने में अपनी महती भूमिका अदा करेगा। फिलहाल सरकार के प्रयासों के अलावा सभी को किसी भी अनजान सोसल मीडिया लिंक, सोसल मीडिया कॉल, सोशल मीडिया चैट, अनजान नंबर पर वीडियो साझाकरण से बचना चाहिए ताकि अपनी बहुमूल्य जमापूंजी को सुरक्षित रखा जा सके। साइबर सेल ने जनहित में कुछ सुझाव जारी किये हैं। जैसे फ्रॉड कॉल आने पर व्यक्ति को तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर घटना की सूचना देनी चाहिए। ऑनलाइन बदमाशी और पीछा करने से लेकर वित्तीय धोखाधड़ी तक, कोई भी साइबर अपराध MHA के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) पर रिपोर्ट किया जा सकता है। मदद के लिए अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन से भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसे में निम्न बिन्दुओ का पालन कर इस खतरे से बचा जा सकता है।

1. किसी अनजान सोशल मीडिया काल पर जानकारी शेयर ना करें।
2. सोशल मीडिया पर विदेशी कॉल उठाने से पहले आइडेंटिटी वेरीफाई करें।
3. खुद से कभी भी निजी जानकारी साझा ना करें।
4. कभी भी अनजान नंबर पर पैसे ट्रांसफर ना करें।
5. इस तरह की कॉल आने पर परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसकी जानकारी दें।

संदर्भ सूची

1. Ramlakhan, M. (2022). मीडिया विमर्श: आधुनिक सन्दर्भ. कल्पना प्रकाशन.
2. Bajwa, S. S. (2022). सोशल मीडिया के विविध आयाम. के.के पब्लिकेशन.
3. Dantodiya, R. (2025). साइबर रक्षक. महागाथा प्रकाशन, pp. 26–30.
4. Upadhyay, A., Verma, A., & Kumar, A. (2025). वैचारिकी. उत्कर्ष प्रकाशन, pp. 101–105.
5. Jaiswal, D. (2025). Cyber Sathi: Your Trusted Guide to Preventing Cyber Threats and Scams. क्राउन प्रकाशन, p. 11.
6. Ameer, Z. (2024). डिजिटल अरेस्ट स्कैम: अंडरस्टैंडिंग, आईडेण्टिफाइंग & अवॉइडिंग डिजिटल फ्रॉड. जाहिद अमीर प्रकाशन.
7. Bhavna, V. (2027). The evolution of digital arrest cyber-crimes in India: Trends and patterns preventive measures. International Journal of Sociology & Humanities, 7(1a). https://doi.org/10.33545/26648679.2025.v7.i1a.113
8. Chauhan, J. (2024). डिजिटल अरेस्ट: एन एमरजिंग साइबर क्राइम इन इंडिया. International Journal of Law, Management & Humanities. https://doij.org/10.10000/IJLMH.118669

9. Srivastava, S. C., & Chakravarti, R. (2016). भारत में साइबर अपराध: मुद्दे और चुनौतियाँ। In डिजिटल अपराध, साइबरस्पेस सुरक्षा और सूचना आश्वासन पर शोध पुस्तिका (pp. 118–139). IGI Global.
10. Mittal, P. D. R. (2018). भारत में साइबर अपराध: एक समीक्षा। In साइबर अपराध और सूचना गोपनीयता पर शोध पुस्तिका (pp. 234–256). IGI Global.
11. Singh, S. K., & Gupta, M. P. (2015). भारत में साइबर अपराध: साइबर अपराध और डिजिटल साक्ष्य विश्लेषण का एक केस स्टडी। Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology, pp. 156–160.
12. Chaudhary, N. (2019). भारत में साइबर अपराध: प्रकृति, विस्तार और प्रतिक्रिया का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। Indian Journal of Criminology and Criminalistics, 40(1), 1–22.
13. Das, S., & Pandey, S. (2018). भारत में साइबर अपराध: साइबर अपराध के रुझान और पीड़ितों की जनसांख्यिकी का विश्लेषण। International Cyber Security Forensics Journal, 7(3), 40–52.
14. TV9 Bharatvarsh. (2025, July 25). 9 घंटे तक जो चाहा, वो करवाया, दो सहेलियों का किया डिजिटल अरेस्ट. TV9Hindi. https://www.tv9hindi.com/state/cyber-crime-fake-digital-arrest-scam-women-extorted-money-laundering-fraud-online-sexual-harassment-3405787.html
15. Parihar, K. (2025, July 23). डिजिटल अरेस्ट की शिकार हुई महिला से 5 लाख की ठगी. Patrika. https://www.patrika.com/mahasamund-news/a-woman-who-became-a-victim-of-digital-arrest-was-duped-of-rs-5-lakh-19800908
16. Singh, B. (2025, July 24). खुद को एटीएस अधिकारी बता रिटायर्ड डाक कर्मी को दो घंटे रखा डिजिटल अरेस्ट. Amar Ujala. https://www.amarujala.com/lucknow/posing-as-aats-officer-kept-retired-postal-worker-under-digital-arrest-for-two-hours-and-extorted-5-lakh-2025-07-24?src=top-subnav
17. Sharma, S. (2025, July 23). अजमेर में 4 दिन तक कमरे में कैद रहे दम्पति, साइबर ठगों ने उड़ाये 40 लाख. Live Hindustan. https://www.livehindustan.com/rajasthan/jaipur/ajmer-digital-arrest-couple-fraud-cyber-crime-40-lakh-201753264931822.html
18. ETV Bharat Rajasthan Team. (2025). महिला बैंक मैनेजर को वीडियो कॉल पर पांच घंटे रखा डिजिटल अरेस्ट. ETV Bharat. https://www.etvbharat.com/hi/!bharat/bank-manager-kept-under-digital-arrest-for-five-hours-on-video-call-cunning-cyber-criminals-stole-rs-17-lakh-from-the-account-rjn24062401606
19. Tiwari, A. (2025, July 24). NTPC के पूर्व अधिकारी की पत्नी से ठगे डेढ़ करोड़, शातिरों ने 10 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट. Jagran. https://www.jagran.com/uttar-pradesh/noida-ncr-noida-news-fraud-with-ex-ntpc-official-wife-by-digital-arrest-scam-23992826.html

20. Pandey, A. (2025). लखनऊ में 73 वर्षीया महिला का 22 दिन डिजिटल अरेस्ट. Jagran. https://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-woman-digital-arrest-73-year-old-woman-of-lucknow-was-digital-arrest-for-22-days-and-gave-rs-70-lakhs-23988840.html
21. Srivastava, S. (2024, November 8). सोशल मीडिया से बढ़ रहा डिजिटल अरेस्ट का खतरा. HindiBoomLive. https://hindi.boomlive.in/explainers/explainer-on-digital-arrest-and-how-its-affects-human-psychology-26934
22. Sharma, V. (2024, December 11). डिजिटल अरेस्ट की बढ़ रहीं घटनाएँ, सोशल मीडिया पर अनजान विडिओ काल से बचें. Patrika. https://www.patrika.com/bassi-news/cyber-fraud-incidents-are-increasing-rapidly-19224484
23. Veche, D. (2025, July 23). डिजिटल अरेस्ट की जाँच में कितना आगे पहुंची एजेंसियां. Live Hindustan. https://www.livehindustan.com/national/story-digital-arrest-fraud-a-rising-cyber-crime-in-india-201753263474765.html
24. AajTak.in. (2024, December 23). डिजिटल अरेस्ट के कुल 92,334 केस. Aaj Tak. https://www.aajtak.in/education/knowledge/story/digital-arrest-cases-in-2024-many-states-total-amount-of-fraud-through-cyber-arrest-dskc-2127450-2024-12-23